UD2-3/A/6/2022-IV-2-Urban Development Department-Part(1) I/3004902//2025

संख्याः 301142/IV(2)-श0वि0–2025–01(ADB)23 (35771)

प्रेषक,

**गौरव कुमार,**
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

आज प्राप्त 02/6/25 शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड

सेवा में,

**निदेशक,**
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**शहरी विकास अनुभाग–2** **देहरादून : दिनांक–29, मई, 2025**

**विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में नवीन ऋण 'नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) Loan No-4407 IND में डी0एस0सी0/अधिष्ठान व्यय धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तरखण्ड के पत्रांक–411/श0वि0नि0/UUSDA (लेखा), दिनांक 03.05.2025 तथा कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांक–यू.यू.एस.डी.आई.ए./हल्द्वानी एवं अन्य शहर/F&A-22/633, दिनांक 01.05.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण सं0–4407-IND (नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर)) के अन्तर्गत अधिष्ठान/प्रशासनिक व्ययों हेतु **कुल रू0 9.60 करोड़ (रूपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि **कुल रू0 9.60 करोड़ (रूपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से/ यथा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

(5) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(8)** वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत परियोजना/कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0–86/XXVII(7)36/2010-11/2019, दिनांक 08.03.2019 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 का होगा।

**(9)** स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2026 तक उपयोग सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

**(10)** अवमुक्त की जा रही धनराशि की ए0डी0बी0 से यथाशीघ्र प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

**2–** उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9704– नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन ) के नामे डाला जायेगा।

**3–** यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं। आई.डी.S/:S.2505013003)

**संलग्नक–यथोक्त।**

**भवदीय,**

Digitally signed by
Gaurav Kumar
Date: 27-05-2025
15:37:37

**( गौरव कुमार )**
**अपर सचिव।**

**प्रतिलिपि**, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/चम्पावत/नैनीताल।
4– कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 27-05-2025
15:45:07

**( प्रदीप कुमार शुक्ल )**
**उप सचिव।**

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-29/May/2025 01:25 PM

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 29-05-2025 13:28:44

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष ( 2025-2026 )

Administrative Department : Secretary, Urban Development ( S054 )

Head of Department : Director Local Bodies( 2877 )

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S25050130031

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 29-MAY-2025

लेखा शीर्षक -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2217 | शहरी विकास | 03 | छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास |
| 191 | स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकारणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता | 97 | बाह्य सहायतित योजना |
| 04 | नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर ) (ए0डी0बी0) | | |

| 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Voted

| क्रम | मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन ) | 0 | 96000000 | 0 | 96000000 |
| | योग | 0 | 96000000 | 0 | 96000000 |

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 9,60,00,000 (Rupees Nine Crores Sixty Lacs Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2505:0009

**Approval Status : e-Sign letter**

Uttarakhand